नाम परिवर्तन

मैं सेना संख्या 15235833Y एनके नर्तु सीतारामू यूनिट 199 मीडियम रेजिमेंट का हूँ, मेरे सैन्य दस्तावेज़ में मेरी पत्नी का नाम सप्पा दमयंती है जो गलत है, मेरी पत्नी का सही नाम नर्तु दमयंती है

मैं, धर्मवीर सिंह, 9, जय भवानी कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर। मेरे बेटे शौर्य शेखावत की जन्मतिथि 18.07.2007 स्कूल रिकॉर्ड में गलत है। मेरे बेटे की सही जन्मतिथि 18.09.2007 है।

I have changed my name from Pradeep Khatuwala to Pradeep Kumar Khatuwala S/o Ramavatar Khatuwala R/o Plot No. A-11, L.S. Nagar, Naya Khera, Ambabari, Vidhyadhar Nagar, Jaipur. For all purpose.

I Roop Chand S/o Ram Kishan R/o Ward No., Teh-Ratangarh, Bhawandesar, Churu, Rajasthan - 331802, have changed my name to Rupesh Choudhary

I Mohini Devi W/o Prem Kumar R/o 17-G Block, Word No.-30, Ganganagar, PO-Sriganganagar, DIST-Ganganagar, Rajasthan - 335001, have changed my name to Mohani

तीये की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी

श्रीमती रामजानकी देवी

धर्मपत्नी स्व. श्री बंशीधर जी शर्मा, का स्वर्गवास दिनांक 06/07/2025 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक मंगलवार दिनांक 08/07/2025 को सायं 05.00 से 06.00 बजे तक सूरज पैलेस गार्डन, आईपरमार्ट के पीछे, आगरा रोड, कानोता में होगी।

शोककुलः मदनलाल शर्मा (ससुर) गणेशनारायण, गोपाललाल, गोविन्दनारायण, महेश प्रसाद, सूर्यकान्त, नवलकिशोर, सतीश, गौरव (देवर), राजेश, विमलेश, अजय, डॉ

खोया पाया

मेरे Flat No. 83/VDN/608, Sec-18 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल सीडमनी लैटर व जमा रसीद कहीं गुम हो गयी है। मिलने पर सम्पर्क करें- नरपत सिंह शेखावत-9549464879

मेरा Flat No. 26/L/908, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करे- 9414904565

आवास संख्या 10/571 का मूल आवंटन पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। घीसा लाल शर्मा मो. 9413334738

अपोलो नगर हाउसिंग कॉ-ऑपरेटिव सो.लि. की योजना रामनगर विस्तार के भूखण्ड संख्या ई-258 का समिति द्वारा जारी साईट प्लान, रसीद कहीं खो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें। रामेश्वरी जाट, मो.नं. 9314706197

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर-257/2025

चूंकि श्री पुनीत कृष्ण शर्मा पुत्र श्री राधा कृष्ण शर्मा निवासी मकान नं. 3277, भिन्डो का रास्ता दूसरा चौराहा, चांदपोल बाजार जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय पता-मकान नं. 3277, भिन्डों का रास्ता, दूसरा चौराहा, चांदपोल बाजार जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि ये इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तिया प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जाच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनाक 2/7/25 की मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 8/9/25

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय नगर निगम, जयपुर, हैरिटेज
हवामहल के पास, बड़ीचौपड़, जयपुर, राजस्थान-302002
क्रमांक: एफ-6( )राजस्व(प्रथम)शाखा/जनी/हैरिटेज/2025/172-173 दिनांक: 07.07.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इण्डस टावर्स लिमिटेड द्वारा नगर निगम जयपुर की सीमा के अन्तर्गत नवीन GBM मोबाइल टॉवर स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। जिसका विवरण अधोलिखित है।

S. No.	Site ID	Long/Lat.	Address
1	IN 3338582	26.92099400/ 75.8218710	On Divider Opposite SBI Bank, Chaura Rasta Ward No.73, Jaipur

अतः उक्त स्थान पर मोबाईल टॉवर स्थापित करने हेतु किसी संस्था, व्यक्ति या अन्य किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो आपत्ति कारण एवं दस्तावजों सहित आपत्ति 07 दिवस में निगम कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी।

उपायुक्त राजस्व (प्रथम) - नगर निगम जयपुर हैरिटेज

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खराब सब्जियां व 40 किलो दूषित व बदबूदार दही को नष्ट करवाया

कोटपूतली के मैसर्स के.के. ब्रदर्स मार्ट पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने टीम सहित कार्रवाई की।

■ खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं विक्रेताओं को खाद्य लाईसेंस व पंजीयन बनवाने के लिये किया पाबंद

कोटपूतली। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शिकायत प्राप्त होने पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक, जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी, एडीएम ओमप्रकाश सहारण, सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत के निर्देशन में सोमवार को हाउसिंग बोर्ड में मैसर्स अंकुश फास्ट फुड से सॉस, मैसर्स के.के. ब्रदर्स मार्ट से नमक, मैदा, सूजी, दलिया, बेसन एवं दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैसर्स न्यू सुमन चौधरी होटल से दही का नमूना लिया गया। साथ ही बहरोड के मैसर्स गिर्राज ठेकेदार हलवाई से मावा का नमूना लेकर जाँच के लिये प्रयोगशाला भिजवाया गया। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एफएसएसए एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कोटपूतली के हाउसिंग बोर्ड स्थित मैसर्स अंकुश फास्ट फुड पर दूषित चाउमिन, दूषित मोमोज व दूषित सॉस मिला व मैसर्स न्यू सुमन चौधरी होटल पर साफ सफाई नहीं पाई गई एवं खराब सब्जियां व 40 किलो दूषित एवं बदबूदार दही जिसमें मक्खी मच्छर गिरे हुये थे पाया गया। जिन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान मौजूद सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं विक्रेताओं को खाद्य लाईसेंस व पंजीयन बनवाने के लिये पाबंद किया गया एवं अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया कि अगर कोई भी विक्रेता बिना लाईसेंस व्यापार करता पाया गया तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ताकि आमजन को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके।

डॉ. मीणा के ठेकेदार पर विवादित बयान से राजनैतिक माहौल गर्माया

■ दूसरी ओर ओमप्रकाश हुडला ने पटलवार कर डॉ. किरोड़ी को चैलेंज दिया

दौसा। प्रदेश के कद्दावर नेता एवं केबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का एक बयान खासा चर्चा में है। डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने ठेकेदार को धमकी देने वाले की जीभ काटने की चेतावनी दी है, इस बयान को पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला से जोडा जा रहा है।

इस बयान के बाद महवा के पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला ने पटलवार करते हुए केबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा को हुडला गांव के किसी भी नागरिक की जीभ काट कर देखने का चैलेंज दिया है साथ ही केबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा एवं महवा विधायक राजेन्द्र मीणा सहित मंत्री के भतीजे पर गम्भीर आरोप लगाए है।

दोनों नेताओं के आपसी बयान के बाद जिले का राजनैतिक माहौल गरमा गया है तथा दोनों नेताओं के समर्थक बयानों को लेकर आमने सामने हो गए है तथा सोसियल मीडिया पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए।

दोनो नेताओं की आपसी बयानबाजी के बीच बालाहेड़ी में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुटबाल हो गया। पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला ने आरोप लगाया कि श्रेय लेने के लिए गैर मुमकिन नाला के नाम से दर्ज भूमि पर ही शिलान्यास कर दिया है। हमारी मांग है कि वर्तमान में जहां सामुदायिक भवन संचालित है वो भूमि पर नये भवन का निर्माण होना चाहिये।

वो भूमि भी राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय विद्यालय के नाम दर्ज है। आपसी विवाद के चलते उक्त मामला अब कोर्ट में चला गया है तथा सामुदायिक भवन निर्माण काबीना मंत्री डॉ. किरोडीलाल मीणा एवं पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला के मूछो का बाल बन गया है।

पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला का कहना है कि मेरे कार्यकाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक केंद्र में क्रमोन्नत किया गया था, तकरीबन साढे 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। अगर मैं गलत हूँ तो डॉ किरोड़ीलाल मीना को एक करोड रुपये देने को तैयार हूं।

वे गलत है तो मुझे 1 करोड रुपये दे। हुडला ने कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा, महवा विधायक राजेन्द्र मीना तथा विधायक के छोटे भाई पर गम्भीर आरोप लगाए है। अब देखना है कि दोनो नेताओ की आपसी बयानबाजी किस हद तक जाती है तथा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य रुकेगा या प्रगति पर रहेगा।

क्या है मामला: पूर्व विधायक ओमप्रकाश हुडला ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिशाषी अभियंता जयपुर खंड को पत्र लिखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालाहेडी के निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालाहेडी के भवन निर्माण हेतु मैसर्स पूनम कन्ट्रक्शन धौली गुमटी बांदीकुई को कार्यआदेश जारी किये गये है, जो नियम विरुद्ध है। जमाबंदी में खसरा नं.-94, 95 गैर मुमकिन नाला तथा खसरा नं.96 एवं 97 शिक्षा विभाग के नाम है, ऐसे में निर्माण कार्य वर्तमान में जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संचालित है उसी भूमि पर होना चाहिये। चिकित्सा विभाग के नाम जमीन ही नही है, गैर मुमकिन नाला में निर्माण कराना उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। उच्चतम न्यायालय ने अब्दुल रहमान विरुद्ध राज्य सरकार की याचिका पर निर्णय दिया है। उन्होने बताया कि बालाहेडी की जनता ने न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में भी याचिका दायर कर रखी है, जिसकी सुनवाई 17 जुलाई को है।

महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा

निवाई। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी व एसडीएम अनीता खटीक के सानिध्य में बूथ लेवल अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी व एसडीएम अनीता खटीक ने बताया कि निवाई विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 1 से 100 तक के बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण सह प्रभारी तहसीलदार बीएल जांगीड ने बताया कि दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा बूथ लेवल अधिकारियों के संवैधानिक प्रावधान, नियोजन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उनकी जिम्मेदारियां, दंडात्मक प्रावधान, बीएलओ की सामान्य जिम्मेदारियां उनके भूमिका और कर्तव्य निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने, हटाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया।

वीएचपी के प्रखंड मंत्री का जन्मदिन मनाया

सांभर में प्रखंड मंत्री का जन्मदिन मना कर बधाई दी।

सांभरझील। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री सुनील शर्मा के "अवतरण दिवस" पर मोदक खिलाकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई। सोनू शर्मा का पुष्पहार पहना कर स्वागत किया गया तथा उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर श्री गोपाल गौशाला के अध्यक्ष मुन्ना लाल शर्मा, आशीष साहू, नवल किशोर जांगिड़, दिनेश शर्मा, दिनेश बंजारा, विकास शर्मा सहित अनेक की मौजूदगी रही।

श्रावक कर्तव्यों का बोध करवाया

देवली। यहां प.पूज्य श्रमण मुनि 108 श्री प्रणीत सागर जी महाराज ससंघ के सानिध्य में पार्श्वनाथ धर्मशाला विवेकानन्द कॉलोनी में चल रहे स्मृति परिवर्तन वर्षायोग-2025 के अंतर्गत नित-प्रतिदिन ज्ञान की गंगा का प्रवाह हो रहा है। णमोकार मण्डल के सदस्य धर्मचन्द जैन (सॉडला) एवं ओमप्रकाश जैन (टोरडी) ने बताया की प्रातः काल से ही श्रुतशाला से प्रारम्भ होकर प्रवचन-गंगा एवं मध्यांतर की कक्षाओं से समाज को नई दिशा प्रदान करने का कार्य मुनि श्री द्वारा किया जा रहा है। श्रावकों को उनके कर्तव्य के बारे में विस्तारपूर्वक बताया, मुनि श्री ने कहा की अगर हम नित-प्रतिदिन हमारे रोज़मर्रा के जीवन को व्यवस्थित बनाने वाले अवयव को धन्यवाद नही करते है। उनसे सहानुभूति नही रखते है तो हमारी मनुष्यता किस काम की साथ ही साथ मुनि श्री ने अमीर गरीब का भेद बताते हुए सूत्र के माध्यम से बताया की सबसे गरीब वह जिसके पास मान(अहम) है, एवं सबसे अमीर वह जिसके पास सम्यकज्ञान है!

भाजपा की बैठक में आगामी कार्य योजनाओं पर मंथन, 'द इमरजेंसी डायरीज़' पुस्तक भी जारी

चंडीगढ़ सीएम आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा मौजूद रहे।

चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, संगठनमंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा मौजूद रहे। संगठन और अधिक मजबूत करने तथा सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने और गुरु पूर्णिमा पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। बैठक में संगठन से जुड़े अहम बिंदुओं के साथ-साथ आगामी कार्य योजनाओं पर मंथन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने भी कांग्रेस शासनकाल में आपातकाल की यातनाओं पर आधारित 'द इमरजेंसी डायरीज़' पुस्तक का विमोचन किया।

चंडीगढ़ आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं से निस्वार्थ भाव से पार्टी संगठन के हित में कार्य करने का आव्हान किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठन की सबसे बड़ी ताकत कहा और जनता की समस्याओं का निदान करने और सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने सभी देशवासियों, विशेषकर युवाओं से 'द इमरजेंसी डायरीज़' पुस्तक को पढ़ने का आग्रह किया। वहीं प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया और नायब सरकार की प्रशंसा की।

भाजपा प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकसित हरियाणा के संकल्प के रूप में अग्रसर है। डा. पूनिया ने कहा कि 'द इमरजेंसी डायरीज़' पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि नायब सरकार नॉन स्टॉप विकास के काम करा रही है। हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश के हर वर्ग के चहुंमुखी विकास को कटिबद्ध है। 'द इमरजेंसी डायरीज़' पुस्तक पर बड़ौली ने कहा कि संघर्ष की तपिश में ही नेतृत्व आकार लेता है। 'आपातकाल' के विरुद्ध संघर्ष ने मोदी जैसे अद्वितीय नेतृत्व को गढ़ने का कार्य किया। आज प्रधानमंत्री मोदी में लोकतंत्र को सशक्त बनाने का जो अदम्य संकल्प है, उसकी नींव आपातकाल के उसी संघर्ष में रखी गई थी। मोहन लाल बड़ौली ने 'आपातकाल' के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ब्लूक्राफ्ट द्वारा उस अराजक कालखंड में मोदी जी के संघर्ष को उजागर करती पुस्तक के प्रकाशन के लिए ब्लूक्राफ्ट की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक के रूप में मोदी जी ने उस अन्यायकाल के विरुद्ध युवाओं को संगठित कर जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यह पुस्तक सभी लोगों को पढ़नी चाहिए।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhejpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Ph. No. 0141-2782772
क्रमांक:- DHC-II/ 594 **जाहिर आम सूचना** दिनांक:- 04.7.25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 1/99, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री सी. पी. राधाकृष्णन पुत्र श्री ई.पी. पन्नीकर को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 265 दिनांक 21.01.1987 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 09.04.1987 को प्राप्त कर लिया गया था। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 914 दिनांक 20.02.1995 को श्री सी. पी. राधाकृष्णन पुत्र श्री ई.पी. पन्नीकर के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 22.02.1995 को करवा लिया गया। श्री सी.पी. राधाकृष्णन पुत्र श्री ई.पी. पन्नीकर के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्री विनय कुमार जैन पुत्र श्री पारसचन्द पापडीवाल एवं श्रीमती निधि जैन पत्नी श्री विनय कुमार जैन को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 21.08.2020 को करवाया गया। श्री विनय कुमार जैन पुत्र श्री पारसचन्द पापडीवाल एवं श्रीमती निधि जैन पत्नी श्री विनय कुमार जैन के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्री तरूण शर्मा पुत्र श्री रूप नारायण शर्मा एवं श्रीमती शिप्रा शर्मा पत्नी श्री तरूण शर्मा को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 10.01.2024 को करवाया गया। श्री तरूण शर्मा पुत्र श्री रूप नारायण शर्मा एवं श्रीमती शिप्रा शर्मा पत्नी श्री तरूण शर्मा द्वारा उक्त आवास की लीजडीड हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री तरूण शर्मा एवं श्रीमती शिप्रा शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबंधक, वृत द्वितीय, जयपुर।

इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिग्री के
(ओ. 21 रूल 22 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला एव सैशन न्यायाधीश क्रम 4 जयपुर महानगर प्रथम
श्रीमती बालेश बैजल बनाम मृतक श्री मोहन देवनदास शर्मा
मुकदमा न 84 सन् 2019

बनाम- मुसम्मी श्री राम शर्मा, पुत्र स्व. श्री मोहन देवनदास, पुष्पा सोनी, पुत्री स्व. श्री मोहन देवनदास मुकेश शर्मा, पुत्र स्व0 श्री शिवरतन शर्मा, प्रिया शर्मा पुत्री स्व0 श्री शिवरतन शर्मा, श्रीमती अश्लेष सोनी पुत्री स्व. श्री देवनदास शर्मा, सुकांत शर्मा पुत्र श्री स्व0 विजय शर्मा, डिम्पी शर्मा पुत्री स्व0श्री विजय शर्मा निवासीगण 70-71, सिन्धी कालोनी, बनीपार्क, जयपुर राज0, श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी स्व0 श्री बालकिशन "कमल" श्रीमती सुशीला पुत्री स्व0 श्री बालकिशन "कमल" मधु शर्मा पत्री स्व0 श्री बालकिशन "कमल", महेश शर्मा पुत्र स्व0 श्री बालकिशन "कमल", पदमनी शर्मा पुत्री स्व0 श्री बालकिशन "कमल" निवासीगण डी-2, स्वर्णकार कालोनी, पुलिस एकेडमी के सामने नेहरू नगर जयपुर, राजस्थान चूंकि ने डिग्री अदालत हाजा मवर्खे.........व मुकदमें नं. 77 सन् 2006 की इजराय के लिए दरख्वास्त पेश की है इसलिए आपको इत्तला दी जाती है कि आप इस अदालत में वार 16 तारीख 07 माह 2025 को हाजिर होकर अगर कोई उजर वास्ते आपके खिलाफ इजाजत किये जाने डिग्री रखते हो तो पेश करो।

आज व तारीख 28 माह 05 सन् 2025 व शब्द मेरे दस्तखत मुहर अदालत के जारी किया गया

मोहर अदालत

आज्ञा से-वरिष्ठ रीडर/शरिस्तेदार
अपर जिला एवम् सैशन न्यायाधीश
क्रम-04 जयपुर महानगर प्रथम

आम सूचना

हर खास आम को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण रमेश चंद मीणा पुत्र स्व. श्री फैल्या, व श्रीमति नैन्या पत्नी स्व. श्री फैल्या निवासीगण- ग्राम जामडोली मरूधर स्कूल के सामने आगरा रोड जयपुर के स्वामित्व की सम्पत्ति वाके ग्राम जामडोली पटवार हल्का जामडोली भू अभिनिरीक्षक क्षेत्र जयपुर पूर्व तहसील जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.9611 हैक्टेयर की भुमि में दोनो का 1/2-1/2 हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज था जिसका विक्रय वर्ष 2015 में हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जिसका रजि. नम्बर 2686/एल को कर दी गई थी उक्त समिति द्वारा उक्त जमीन पर राधिका विहार द्वितीय आवासीय कॉलोनी सृजित कर दी गई है। उक्त कृषि भुमि बाबत मेरे अभिभाष्यगण की और से कोई वाद विवाद एवं सरकारी, अर्द्ध सरकारी बकाया नही है। उक्त कृषि भुमि पर संपूर्ण मालिकाना हक अधिकार हथरोई गढी गृह निर्माण सहमति समिति लि. का है मेरे अभिभाष्यगण का कोई भी हक अधिकार शेष नही बचा है तथा भविष्य में मेरे अभिभाष्यगण का उक्त कृषि भूमि से कोई लेना देना नही है ना ही कोई राशि शेष बकाया है।

जयपुर (सुभाष चन्द शर्मा), एडवोकेट
दिनांक : 7.7.2025 मो. 9829781691

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक: ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-09/2025/डी-2437 **आम सूचना** ऑनलाईन आवेदन - 218177 दिनांक: 01.07.2025

जविप्रा की योजना रिंग रोड परियोजना के भूखण्ड संख्या ए9/एआई/108 के क्षेत्रफल 1250.00 व.मी. की लीजडीड दिनांक 15.09.2014 को श्रीनारायण पुत्र भौरीलाल के नाम से जारी किया गया तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.12.2020 को श्रीनारायण मीणा पुत्र भौरीलाल द्वारा मैसर्स रजनी रियल एस्टेट जरिये पार्टनर श्री हितेश इकदाया पुत्र अशोक कुमार सैनी को कर दिया गया। आवेदक मैसर्स रजनी रियल एस्टट जरिये पार्टनर श्री हितेश इकदाया पुत्र अशोक कुमार सैनी द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड के मूल दस्तावेज कहीं गुम हो जाना बताया गया है। अतः प्रार्थी को जविप्रा की योजना रिंग रोड परियोजना के भूखण्ड संख्या ए9/एआई/108 के क्षेत्रफल 1250.00 व.मी. का नाम हस्तांतरण जारी किये जाने के सम्बध में कार्यवाही की जानी है। इस सम्बध में किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण जारी किये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

उपायुक्त जोन-9 जविप्रा, जयपुर

आम सूचना

मेरे अभिभाष्य श्री राजकुमार गुप्ता द्वारा ग्राम बस्सी तहसील बस्सी, जिला जयपुर में खाता संख्या 637 में खसरा नम्बर 971 रकबा 0.5100 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 993 रकबा 0.6400 हैक्टेयर जमीन खरीदकर उस पर उसे दी जयपुर बाल्मीकी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. में सरेन्डर कर उस पर ग्रीन पार्क नामक आवसीय योजना सृजित करी थी तथा उक्तयोजना में वैध आवटीयों को जारी वैध आवंटन पत्रो पर मेरे अभिभाष्य श्री राजकुमार गुप्ता के हस्ताक्षर है तथा उक्तयोजना में जारी रसीदो पर बतौर व्यवस्थापक मेरे अभिभाष्य श्री राजकुमार गुप्ता के ही हस्ताक्षर है। मेरे अभिभाष्य की जानकारी में आया कि भू-माफिया किस्म के अवैध व्यक्तियों द्वारा उक्तयोजना में फर्जी आवंटन पत्र सृजित कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्तिया संस्था द्वारा उक्तयोजना में ऐसे आवंटन पत्र व रसीद जिन पर मेरे अभिभाष्य श्री राजकुमार गुप्ता के हस्ताक्षर नहीं है के माध्यम से किसी प्रकार का कोई खरीद फरोख्त किया व कय विक्रय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे अवैध दस्तावेजो के आधार पर किये गये कय-विक्रय के सम्बन्ध में मेरे अभिभाष्य श्री राजकुमार गुप्ता एवं दी जयपुर बाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होगा और ना ही उनका कोई दायित्व उत्पन्न होगा।

दिनांक : 07.07.2025

विश्व विजय सिंह, एडवोकेट
47, गणेश नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर मो. - 9214444338

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-5224 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक-03.07.2025

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 32/176 (MIG-B) (एरिया 162.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का आवंटन डॉ. राम बाबू सोनी पुत्र श्री नरसिंह लाल सोनी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1262 दिनांक 27.06.1996 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 158/157 दिनांक 10.04.2013 के द्वारा श्री वासुमल पुत्र श्री कीमतमल के पक्ष में किया गया। जिनके पंजीयन प्रपत्र दिनांक 18.04.2013 को उप पंजीयक अष्टम में पंजीकृत करवाया गया। श्री वासुमल की मृत्यु दिनांक 18.02.2024 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती पदमा देवी पत्नी स्व. श्री वासुमल द्वारा आवासन मण्डल मे अपना नाम रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती पदमा देवी पत्नी स्व. श्री वासुमल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

इतलानामा बनाम रेस्पाडेन्ट
न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर
अपील नम्बरी 864/2025
डिग्री नं. सन
बिनाराजी तजबीज
अदालत मुकाम जयपुर
मवरिखा सन्
अल्का पारीक व अन्य-अपीलान्ट्स
बनाम
नन्छू व अन्य रेस्पाडेन्ट्स

बनाम-

नन्छू पुत्र श्री नारायण, जाति अहीर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमें जिला जयपुर। दीनदयाल पुत्र मांगी लाल, श्रीमती मोहिता देवी पत्नी स्व. प्रभूदयाल, हर्षित पुत्र स्व. प्रभूदयाल, गुड्न उर्फ अदिति पुत्री रव प्रभूदयाल, विरेन्द्र पुत्र मांगीलाल गायत्री देवी पुत्री मांगीलाल, चन्द्रकला पुत्री मांगीलाल बल्लूलाल पुत्र गणपत, कान्ता पारीक पुत्री गणपत, नन्दकिशोर पारीक पुत्र श्रीवक्स, समस्त जाति पुरोहित, निवासी पुरोहितो का मौहल्ला, कस्वा चौमूं, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर। राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोद चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, उप पंजियक महोदय चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर। गुल्लाराम पुत्र रामचन्द्र, ग्यारसी लाल पुत्र रामचन्द्र रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र, मगलचन्द पुत्र रामचन्द्र, सुण्डाराम पुत्र रामचन्द्र, बरजी पत्नि स्व0 बद्री, महीपाल यादव पुत्र स्व0 बद्री, मिना यादव पुत्री स्व0 बद्री, सोनी देवी पुत्री रामचन्द्र (फौत) मोहनी देवी सुत्री रामचन्द्र गोपाल पुत्र हुक्माराम, दुलाराम पुत्र हुक्माराम, श्रवण लाल पुत्र हुक्माराम, श्योकुरी पुत्री हुक्माराम, गंगा देवी पुत्री हुक्माराम, पप्पूलाल पुत्र प्रभाती देवी, मोहन लाल पुत्र प्रभाती देवी, नरेश पुत्र प्रभाती देवी, बिरवी पत्नि भागीरथ, मांगीलाल पुत्र भागीरथ, श्रीमती गुडडी देवी पत्नी स्व. अर्जुन राहुल पुत्र स्व अर्जुन सुनिल पुत्र स्व. अर्जुन गुडडी देवी पुत्री स्व. अर्जुनबाशा देवी पुत्री स्व अर्जुनबिदामी देवी पुत्री भागीरथ संज्या देवी पुत्री भागीरथ, पताशी देवी पुत्री भागीरथ सन्ती देवी पुत्री भागीरथ, गीता देवी पुत्र भागीरथ,

बरजी देवी पत्नि नारायण भगवान सहाय पुत्र नारायण, हरदेव पुत्र नारायण बाबूलाल पुत्र नारायण, लक्ष्मण पुत्र नारायणबंजरग पुत्र नारायण, गोकूल पुत्र नारायण, झूथा पुत्र धन्नासमस्त जाति अहीर निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसरील चौमूँ जिला

मुतिला हो कि अपील बिनाराजी डिग्री व तारीख 07 इस मुकदमे में 2025 ने पेश किया है और इस अदालत की तजबीज... माह... सन् 2025 ई. वास्ते समाअत इस अपील के मुकर्रर की गई है अगर खुद आप या आपके वकील या कोई और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा मे जवाब व सवालात करने का माजज हो हाजिर न आवेगा तो उसकी समाअत और की जावेगी।

आज तारीख 4 माह 7 सन् 2025 ई. मेरे दस्तखज और मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर

राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.
गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर-302015, ईपीएबीएक्स: 0141-2713666-69, Ext. 218
E-Mail: computer@jaipurdairy.com website: www.jaipurdairy.com
क्रमांक: जजिदुउससं/आई.टी./2025/10204-5 **निविदा-सूचना** दिनांक: 05.07.2025

जयपुर दुग्ध संघ में **"SITC of NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE)"** के लिए अनुभवी व पंजीकृत निविदादाताओं से मुहरबंद निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विववण व निविदा प्रपत्र हमारी वेबसाइट **www.jaipurdairy.com** व **http://sppp.rajasthan.gov.in** देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

NIB: CDF2526A0354 प्रबन्ध संचालक

जीवन में भरे रस - हमारा प्यारा

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर कार्यालय दूरभाष नं0 0141-2744283, फैक्स नं0 0141-2740568, ईमेल आईडी - rsscjaipur@gmail.com
क्रमांक :- एफ-9/खेल उपकरण आगार/2025-26/158 दिनांक :- 04/07/2025

ई-निविदा सूचना संख्या 24/2025-26 दिनांक 04.07.2025

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा प्रतिष्ठित निर्माता/अधिकृत विक्रेताओं से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी खेल उपकरणों (कम्पाउंड) की आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में द्वि-प्रक्रमी बोली यथा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन ई-निविदाऐं एक वर्ष की अवधि हेतु आमंत्रित की जाती है। संबधित पूर्ण विवरण वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** एवं **http://sppp.raj.nic.in** तथा **www.rssc.in** पर देखा जा सकता है।

UBN No. : RSC2526GSOB00025
राज.संवाद/सी/25/5663 **सचिव**

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका मण्डल जोबनेर जयपुर
स.: 1056 **लोक सूचना** दिनांकः 07/07/25

श्री चन्द्र शेखर शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा, निवासी-गुरू जम्भेश्वर नगर ए वैशाली नगर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (व्यवसायिक एंव आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
तहसील- जोबनेर, जिला-जयपुर	माच्छरखानी	1996/1986	0.3272 हैक्टेयर में से 43.36 वर्गमीटर व्यवसायिक एंव 80.10 वर्गमीटर आवासीय भूमि प्रयोजनार्थ बाबत्।

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07/07/25 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका मण्डल जोबनेर

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका मण्डल जोबनेर जयपुर
स.: 1055 **लोक सूचना** दिनांकः 07/07/25

श्री चन्द्र शेखर शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा, निवासी-गुरू जम्भेश्वर नगर ए वैशाली नगर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक (व्यवसायिक एंव आवासीय) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
तहसील- जोबनेर, जिला-जयपुर	माच्छरखानी	1996/1986	0.3272 हैक्टेयर में से 65.71 वर्गमीटर व्यवसायिक एंव 98.57 वर्गमीटर आवासीय भूमि प्रयोजनार्थ बाबत्।

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07/07/25 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका मण्डल जोबनेर

कार्यालय नगर पालिका मंडल कालाडेरा जयपुर (राज.)
क्रमांक-न.पा.का/2025/44 दिनांक-07/7/23

लोक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है ने निम्नांकित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन औधोगिक के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

खातेदार का नाम	तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
श्री श्रवण लाल यादव पुत्र श्री लादूराम यादव निवासी चौमूँ	कालाडेरा	कालाडेरा	5462/2911	कुल किता रकबा 0.5000 हैक्टेयर/ 5867 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
(अधिशाषी अधिकारी)
नगरपालिका कालाडेरा